

# कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म. प्र.)

क्रमांक/इंम/वाहन/2022/641/6  
प्रति,

(मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

24/3/2022  
सागर, दिनांक: / /2022.

Institute website,  
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (म.प्र.)

विषय:- मासिक अनुबंध पर वाहन अनुबंधित करने हेतु कोटेशन उपलब्ध कराए जाने बावत्।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संस्था में स्कार्पियो वाहन अनुबंधित किया जाना है। मासिक अनुबंध पर वाहन अनुबंधित करने हेतु निम्नलिखित तालिका अनुसार लेटरहेड पर जानकारी भरकर कोटेशन उपलब्ध कराएं-

क्र.	विवरण	स्कार्पियो वाहन	रिमांक
1.	प्रतिमाह यात्रा की दर बिना डीजल/पेट्रोल के (ड्राइवर सहित)		
2.	प्रतिमाह 2000 किमी यात्रा की दर (डीजल/पेट्रोल एवं ड्राइवर सहित)		
3.	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार प्रति किमी अतिरिक्त की दर		

नोट- संस्था कार्यालय में कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 28/03/2022 को सांय 05:00 बजे तक है।

// नियम एवं शर्तें //

01. दर्ज की जाने वाली राशि जिला सागर के जिला कलेक्टर दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
02. वाहन का मॉडल वर्ष जिलाधीश सागर द्वारा जारी आदेशानुसार स्वीकार किया जायेगा।
03. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है जिसके नंबर का उल्लेख लेटरहेड पर करें। साथ ही कोटेशन में दर्ज की जाने वाली राशि में जी.एस.टी. सम्मिलित कर दर्ज करें।
04. परिवहन विभाग म0प्र0 में ट्रेवल एजेंसी का पंजीयन होना अनिवार्य है।
05. वाहन में डीजल की खपत शासन द्वारा जारी आदेशानुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये जारी एवरेज अनुरूप होगी किन्तु किसी भी वाहन का एवरेज 12 कि0मी0 से कम नहीं होना चाहिये।
06. टोल टैक्स की राशि अलग से देय नहीं होगी।
07. अन्य नियम एवं शर्तें ट्रेवल एजेंसियों के कोटेशन प्राप्त होने के पश्चात् संस्था की समिति द्वारा अनुबंधित किये जाने हेतु चुनी गई ट्रेवल एजेंसी के अनुबंध आदेश में बताई जायेंगी।

  
प्राचार्य

इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय  
सागर(म.प्र.)

